राजस्थान सरकार

न्यायालय अति. जिला कलक्टर, भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी ओमप्रकाश मेहरा (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या : 17/2015 आवन्टन निरस्त

1. भंवरलाल पिता घीसूलाल व्यास निवासी–सरेडी तहसील–आसींद
2. शिवनारायण पिता घीसूलाल व्यास निवासी–सरेडी तहसील–आसींद जिला भीलवाडा

–प्रार्थी

बनाम

1. इन्दुबाला पति विनोद कुमार व्यास निवासी–सरेडी तहसील–आसींद
2. राजेश कुमार पिता ओम प्रकाश व्यास निवासी–सरेडी तहसील–आसींद
3. तहसीलदार आसींद

–विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14(4) राजस्थान कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन निरस्तीकरण नियम 1970 विरूद्व ग्राम कोरनास ,करजालिया तहसील आसींद की आराजी संख्या 506 रकबा 0.13 हेक्टेयर

उपस्थित –
1. श्री सत्यनारायण सोमानी अधिवक्ता – प्रार्थीगण की ओर से
2. श्री विष्णु दत्त शर्मा, भैरूलाल बापना अधिवक्ता – विपक्षी संख्या 01 व 02 की ओर से

निर्णय

दिनांक 12.03.2025

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अर्न्तगत भू राजस्व कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन नियम 1970 के नियम 14(4) विरूद्व विपक्षी के प्रेषित कर निवेदन किया कि ग्राम कोरनास पटवार हल्का करजालिया तहसील आसींद में प्रार्थीगण के खातेदारी हक अधिकार आधिपत्य की आराजी सं 508 रकबा 0.45 हैक्टेयर एवं आराजी सं 509 रकबा 0.36 हैक्टेयर भूमि स्थित है। जिससे लगती हुई बिलानाम आराजी सं 506 रकबा 0.14 है.0 पट्टीनुमा भूमि है एवं जिसके आगे रास्ता है, जिस पर प्रार्थीगण का 40 वर्षों से कब्जा होकर उपयोग एवं उपभोग में है। उक्त बिलानाम आराजी का प्रथमतः आवंटन का अधिकार प्रार्थीगण को है। आवंटन सलाहकार समिति द्वारा विपक्षी 1 एवं 2 को नियम विरूद्ध उक्त आराजी सं 506 में से 0.13 हैक्टेयर भूमि आवंटित करवा दी गई तथा आवंटित आराजी के आराजी 2159/506 रकबा 0.13 हैक्टेयर दर्ज हो गए। रास्ते एवं प्रार्थीगण की खातेदारी आराजी सं 508 के मध्य ही चिप्ती भूमि आराजी सं 506 है। प्रार्थीगण भूमिहीन काश्तकार है तथा आराजी संख्या 506 जो प्रार्थीगण की आराजी से लगती हुई आराजी है तथा छोटी पट्टीनुमा भूभाग है। जिसे आवंटन कराने की प्रार्थीगण प्राथमिकता भी रखता है। इसके

उक्त आवंटन आदेश अपास्त कर, आराजी 2159/506 रकबा 0.13 हैक्टेयर को बिलानाम दर्ज फरमाये जाने हेतु आदेश प्रदान करावें।

विपक्षी अधिवक्ता ने अपनी बहस में जवाब एवं लिखित बहस के बिन्दुओं को दोहराते हुये बताया कि ग्राम कोरनास की बिलानाम आराजी सं 506 रकबा 0.14 हैक्टेयर भूमि प्रार्थीगण के आराजी से कतई लगती हुई नहीं है एवं उक्त भूमि पर विगत 40 वर्षों से विपक्षीगण 1 एवं 2 के कब्जे एवं अधिकार आधिपत्य में होकर निरंतर काश्त करते चले आ रहे है। उक्त भूमि पर प्रार्थीगण का कभी कब्जा एवं उपभोग नहीं रहा। उक्त आराजी विपक्षी सं 1 व 2 की आराजी से लगने से प्रथमतः आवंटन के अधिकारी भी विपक्षीगण है एवं आवंटन सलाहकार समिति द्वारा नियमों के अनुरूप ही उनके पक्ष में आवंटन किया गया है। विपक्षीगण इन्दुबाला एवं राजेश कुमार के हिस्से में नोशनल शेयर से काफी कम भूमि आती है। जिससे वे वक्त आवंटन भूमिहीन काश्तकार की श्रेणी में आते थे और उन्हें आराजी नं 513, 2069/831 व 2159/506 किता 3 रकबा 0.5400 हैक्टेयर भूमि का सही तौर पर आवंटन किया गया। ग्राम कोरनास की आराजी नं 506 रकबा 0.14 हेक्टेयर में से 0.13 हेक्टेयर भूमि का आवंटन विपक्षीगण को दिनांक 22.12.2004 को किया गया जिसमें दिनांक 04.02.2013 से खातेदारी अधिकार प्रदान कर दिये गये। प्रार्थी ने कब्जा संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए। इसके विपरीत विपक्षीगण द्वारा खसरा गिरदावरी व लगान रसीदें पेश की, जिससे आवंटन से पूर्व ही उक्त भूमि पर विपक्षीगण का कब्जा चले आने की पुष्टी होती है। विपक्षीगण भूमिहीन काश्तकार है व नोशनल शेयर से काफी भूमि बंजड व बारानी है। चाही भूमि का दुगुना करने पर भी राजेश कुमार को नोशनल शेयर से आवंटित भूमि सहित कुल 3.5741 है0 भूमि ही मिलती है जो निर्धारित सीमा 4 है0 से कम है। प्रार्थीगण ने स्वयं को उक्त भूमि का अतिक्रमी बताकर विपक्षीगण को किया गया आवंटन निरस्त कराने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया गया है, जबकि अतिक्रमी चुनौति देने का अधिकारी नहीं है। विधिक दृष्टान्त 2006(2)आर0आर0टी 1171 रणजीत बनाम राजबाला पेश किया हैं। आवंटित भूमि में आवंटी विपक्षीगण को खातेदारी अधिकार प्राप्त हो गए, जिससे विपक्षीगण का आवंटन निरस्त नहीं किया जा सकता है। विधिक दृष्टान्त 2018 आर0बी0जे0 539 सरकार बनाम शंकरलाल एवं 2021 आर0बी0जे0 747 प्रभु बनाम हरदाई पेश है। अतः उक्त कारणों से प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र आधारहीन होने से खारिज किया जावे।

अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया गया। प्रार्थना पत्र पर उपलब्ध

तथ्यों एवं दस्तावेजों का भलीभांति परीक्षण किया गया। जिसके उपरान्त पाया गया कि प्रश्नगत भूमि का आवंटन, आवंटी को वर्ष 2004 में किया गया एवं वर्ष 2013 में खातेदारी अधिकार प्रदान किये गये। ऐसे में इस प्रकरण में राजस्थान भू–राजस्व आवंटन नियम 1970 के नियम 14(4) के प्रावधान प्रभावी नही होते हैं।

विपक्षी संख्या 01 व 02 को प्रश्नगत भूमि का आवंटन वर्ष 2004 में किया जाना आवंटन पत्रावली की फोटोप्रति से जाहिर होता हैं, किन्तु आवंटन के लगभग 11 वर्ष पश्चात् प्रार्थीगणों द्वारा उक्त आवंटन निरस्तीकरण का प्रार्थना पत्र इतने लम्बे अंतराल के बाद बिना किसी ठोस कारणों के प्रस्तुत किया जाना विधि विरूद्व प्रतीत होता हैं। प्रार्थीगणों द्वारा उक्त समय के अंतराल को कण्डोन किये जाने बाबत् भी कोई प्रार्थना पत्र पेश नही किया गया।

प्रार्थीगणों ने प्रार्थना पत्र में अंकित किया कि विपक्षी संख्या 01 व 02 ने मिथ्याव्यपदेशन कर उक्त आवंटन करवाया हैं, परन्तु प्रार्थीगणों ने ऐसा कोई दस्तावेजात पत्रावली पर प्रस्तुत नही किया, जिससे जाहिर हो कि विपक्षी द्वारा मिस–रिप्रजेन्टेशन या फ्रॉड तरीके से प्रश्नगत आराजी का आवंटन, आवंटन कमेटी से करवाया गया हो।

उपरोक्त विवेचन अनुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अंतर्गत कृषि भूमि प्रयोजनार्थ भू आवंटन नियम 1970 के नियम 14(4) सिद्व नही होने से तथा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आधारहीन व तथ्यहीन होने से स्वीकार योग्य नहीं ठहरता हैं। अतएव–

आदेश

प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अर्न्तगत भू राजस्व कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन नियम 1970 के नियम 14(4) अस्वीकार किया जाता हैं। विपक्षी आवंटी को ग्राम कोरनास तहसील आसीन्द की आराजी संख्या 506 रकबा 0.14 हैक्ट. में से 0.13 हैक्ट. भूमि का किया गया आवंटन यथावत रखा जाता हैं। निर्णय की प्रति मय तलबदा रिकार्ड उपखण्ड अधिकारी आसीन्द एवं निर्णय की प्रति तहसीलदार आसीन्द को संप्रेषित की जावे।

निर्णय आज दिनांक 12.03.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओमप्रकाश मेहरा)
अति. जिला कलक्टर
भीलवाड़ा